

8/9/25 3912 पं.सं. 34/

पं.सं. 3912 के अधिनियम के अन्तर्गत
होने वाले कार्य के लिए। अन्त - पं.सं.
में दिखाना है।

आपका पं.सं. 3912 के अन्तर्गत
है।

पं.सं. 3912 के अन्तर्गत है।
24/9/25 के पं.सं. 34/

(पं.सं. 3912)

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश

संख्या-2, जाड़मेर